

न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

पीठासीन अधिकारी :- बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 37/2019

ऑनलाईन प्रकरण संख्या:- 2019/00069

1. महेश कुमार पुत्र स्व. भतमाल जाति खत्री निवासी तेलीवाडा, तहसील व जिला बीकानेर ।


---प्रार्थी---

—बनाम—

1. श्रीमति पारुकंवर पत्नी स्व. कान सिंह जाति राजपूत, निवासी रायसर तहसील व जिला बीकानेर ।
2. भीख सिंह पुत्र स्व. कान सिंह, जाति राजपूत, निवासी रायसर तहसील व जिला बीकानेर ।
3. नरपत सिंह पुत्र स्व. कान सिंह जाति राजपूत, निवासी रायसर तहसील व जिला बीकानेर ।
4. श्रीमति सन्तोष कंवर पत्नी स्व. मूल सिंह जाति राजपूत निवासी रायसर तहसील व जिला बीकानेर ।
5. पदम कंवर पुत्र स्व. श्री मूल सिंह निवासीगण रायसर तहसील व जिला बीकानेर ।
6. श्रीमती रूकमा कंवर पत्नी श्री हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी गांव बागडसर जिला चुरू ।
7. श्रीमती केसर कंवर पत्नी श्री मोडसिंह जाति राजपूत निवासी गांव दैया जिला बीकानेर ।
8. श्रीमती गुलाब कंवर पत्नी श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी बाडसर जिला चुरू ।
9. श्रीमती मघी कंवर पत्नी श्री भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी ढींगसरी जिला बीकानेर ।
10. श्रीमती बम्बलू कंवर पत्नी श्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी बैलासर जिला बीकानेर ।

---अप्रार्थीगण---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. 1955



अभिभाषक उपस्थिति:-

1. श्री बृजेश मदान, अभिभाषक प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री जयनारायण व्यास, अभिभाषक अप्रार्थीगण की ओर से ।

---निर्णय:---

दिनांक:- 08.01.2020


सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

प्रकरण में सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी महेश कुमार पुत्र स्व. भतमाल जाति खत्री, बीकानेर का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी ने एक कृषि भूमि जिसके खसरा नं. 81 हाल खसरा नं. 29 में 0.29 हैक्टेयर खसरा नं. 53 में 0.74 हैक्टेयर व खसरा नं. 291/30 में 1.30 हैक्टेयर तथा 42 में तादादी 2.5 हैक्टेयर वाकें

ग्राम रायसर में से 1 बीघा कृषि भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 24.11.1995 को पूर्व खातेदार कान सिंह से खरीद की हुई है और खरीद की दिनांक से ही प्रार्थी का विवादित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। साथ ही प्रार्थी का नाम भी राजस्व रिकार्ड में अंकित है। अप्रार्थीगण पूर्व खातेदार कान सिंह के वारिस है एवं कान सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही उक्त कृषि भूमि को जरिये बैयनामा प्रार्थी को विक्रय कर दिया था एवं कान सिंह के देहान्त के पश्चात् अप्रार्थीगण के मन में उक्त भूमि की बढ़ती कीमतों को देखकर मन में लालच आ गया। इसलिए अब अप्रार्थी जबरदस्ती प्रार्थी को उसकी ही मालिकाना एवं काबिजाना जायदाद से महरूम करने पर तुले हुए है। जिसके लिये अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी को उसकी जायदाद से बेदखल करने की लगातार धमकी दे रहे है। अप्रार्थीगण का विवादित जायदाद से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ना ही अप्रार्थीगण का उक्त विवादित जायदाद में स्वत्व एवं राईट इन्टरेस्ट है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण गैर कानूनी तरीके से रोक रहे है एवं बेदखल करने की धमकी दे रहे है, जिसका अप्रार्थी को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है।

2. उपरोक्त विवादित भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा एवं प्रार्थी के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में अंकन चला आ रही है। प्रार्थी उक्त भूमि का सदभावी क्रेता होना के नाते कब्जे काश्त करता आ रहा है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रार्थी को उसकी जायदाद से बेदखल कर देते है, तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला अहम नुकसान कारित होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति रुपये पैसों में आंकना कत्तई संभव न होगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण खेत खसरा नं. 81 हाल खसरा नं. 29 में 0.29 हैक्टेयर खसरा नं. 53 में 0.74 हैक्टेयर व खसरा नं. 291/30 में 1.30 हैक्टेयर तथा 42 में तादादी 2.5 हैक्टेयर वाके ग्राम रायसर में से 1 बीघा कृषि भूमि से प्रार्थी जबरन बेदखल नहीं करे ना ही गुण्डा तत्वों की मार्फत बेदखल करावे ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करे ना ही किसी प्रकार की रद्दोबदल करे तथा ना ही कोई ऐसा फैल या तर्क फैल करे जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कुठारघात हो।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसपर अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रार्थी के कथनों को अस्वीकार करते हुवे उन्हें गलत व बनावटी बताया है। आगे कथन कर उल्लेख किया कि स्व. कानसिंह ने अपने जीवनकाल में कोई कृषि भूमि का विक्रय नहीं की। इसलिए महेश कुमार को कृषि भूमि विक्रय करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा है, अतः प्रार्थी को बेदखल करने के तथ्य मुकदमें को रगंत देने के लिये लिखे गये है। साथ ही आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई विधिक अधिकार नहीं है, प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी के नाम उक्त कृषि भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं है, मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत कथित बैयनामा कूट कृत है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का कोई प्राईमाफेसाई केस नहीं है। उसे किसी तरह की अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण ने आगे अपने जवाब में विशेष कथन में उल्लेख किया कि इसी कृषि भूमि से सम्बधित एक राजस्व वाद कृष्णकांता बनाम विशाल सिंह नाम से न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट टेक)



3/22
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

बीकानेर के समक्ष जैरकार है। इस वाद में अप्रार्थीगण की साक्ष्य ने गवाह हनुमान सिंह व विशाल सिंह ने शपथ पत्र दिनांक 26.06.2013 को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रार्थीनी (कृष्णकांता) के पूर्व में भीखसिंह की जमीन है तथा उसी का कब्जा काश्त है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है, उक्त कृषि भूमि पर किसी की भी पट्टियां व पिल्लर लगेहुए नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कूट कृत बैयनामा कृषि भूमि का निरस्त करवाने हेतु सिविल वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थी ऐसा कुटकृत दस्तावेज के आधार पर किसी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि का बयनामा स्व. कानसिंह ने अपने जीवनकाल में नहीं करवाया, महेश कुमार ने किसी अन्य व्यक्ति को कानसिंह के नाम से उपपंजीयक कार्यालय में खडा करके बयनामा करवा लिया। अप्रार्थी भीखसिंह को इस तथ्य का इल्म होने पर उसने थाना पुलिस नापासर में निर्मल कुमार आदि के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर निर्मल कुमार आदि ने थाना पुलिस नापासर से साज बाज करके प्रकरण को सिविल नेचर का करार देते हुए अदालत में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के पश्चात् अप्रार्थी भीख सिंह ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की। न्यायालय के समक्ष इस्तदुआ की, कि थाना पुलिस नापासर द्वारा तफतीश सही नहीं की गई है तथा अप्रार्थी के पिता कानसिंह के कुट कृत हस्ताक्षर की जांच नहीं करवाई गई है। इस पर न्यायालय ने दिनांक 09.06.2015 को अंतिम प्रतिवेदन थाना पुलिस नापासर को पुनः अनुसंधान हेतु लौटाते हुए आदेश दिया कि दिनांक 15.11.1995 के विक्रय पत्र में परिवादी के पिता कान सिंह के हस्ताक्षर एफ.एस.एल. से जांच करवाई जावें। न्यायालय के आदेश से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा जांच हेतु एफ.एस.एल. भेजा गया है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष पाने का हकदार नहीं है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

4. प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण कान सिंह के वारिस है, जिससे अपने जीवनकाल में वादगत भूमि को दिनांक 15.11.1995 को 2 बैयनामों से नवीन कुमार व निर्मल कुमार को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण भी दर्ज हो गया है। स्व. कान सिंह के जीवनकाल में कोई विवाद नहीं रहा है। वादगत जमीन को दिनांक 19.09.2004 को नवीन कुमार व निर्मल कुमार ने प्रार्थी को बेच दी। जिसका भी नामांतरण हो गया और प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में दर्ज है। जिस बैयनामों को सिविल न्यायालय में चुनौती देने की बात अप्रार्थीगण कर रहे हैं, उसमें भी प्रार्थी पक्षकार नहीं है। बावजूद इसके किसी भी न्यायालय ने उक्त बैयनामों को फर्जी नहीं बताया है। बैयनामों को जांच हेतु एफ.एस.एल. में भेजने से ही वह गलत साबित नहीं हो जाता। कोई भी रिपोर्ट इस बाबत् प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी/वादी वादगत भूमि का दावा 188 आर.टी.एक्ट के तहत लाया है, जो राजस्व न्यायालय में ही लाया जा सकता है। प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में **RRT 2014 Page 97** इस वाद पर हुबहु चस्पा होती है। अप्रार्थीगण द्वारा जिस एफ.आई.आर का उल्लेख किया है, उसमें दर्ज होने के 14 दिन में ही एफ.आर. लग चुकी है। आगे अपनी बहस में कथन किया कि कान सिंह ने कुल 6.88 हैक्टेयर भूमि में से टूकड़े कर नवीन कुमार व निर्मल कुमार को बेची है। कान सिंह की मृत्यु वर्ष 2007 में हुई है। कान सिंह ने अपने जीवनकाल में उक्त बैयनामों को फर्जी करार कराने हेतु कोई दावा कहीं भी पेश नहीं किया है। शेष भूमि 3.65 हैक्टेयर पूरी कान सिंह के हिस्से व कब्जे में थी। पटवारी से साँठ गांठ करके पूरी भूमि का नामांतरण वारिसानों ने अपने नाम से करवा लिया। जिसे तहसीलदार ने शुद्धि पत्र भरकर 3.65 हैक्टेयर भूमि का नामांतरण दर्ज किया। अप्रार्थीगण के नाम से 6.88 हैक्टेयर भूमि है, इसका



सहायक क्लर्क
बीकानेर शेर

अप्रार्थीगण कोई नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड पेश करें। आगे कथन किया कि वर्ष 2009 में की गई रिलीज डीड में खसरो के उल्लेख के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि पिता द्वारा कुछ हिस्सा बेच दिया गया है। इसके बावजूद यदि पूरी भूमि पर कब्जा है तो अप्रार्थीगण उसकी गिरदावरी पेश करे। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से व खातेदारी में अनुतोष चाहा गया है। उक्त वादगत भूमि का नामांतरण 2006 में प्रार्थी के नाम से दर्ज हो गया। प्रार्थी वादगत भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है, प्रथम दृष्टया मामला उसका ही बनता है। सिविल न्यायालय ने भी वादगत भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं माना है। सिविल कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए राजस्व न्यायालय बाध्य है। प्रार्थी के हक में सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति भी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे।

5. प्रार्थी की बहस के जवाब में अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस में उल्लेख किया कि अप्रार्थीगण के पिता कान सिंह ने अपने जीवनकाल में कोई बयनाम नहीं करवाये। उक्त कथित बयनाम पर जो हस्ताक्षर है वे कान सिंह के नहीं हैं और ना ही मिलान होते हैं। बयनामा कूटरचित है। प्रार्थी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। सिविल न्यायालय द्वारा उक्त बयनाम पर अंकित हस्ताक्षर को एफ.एस.एल. जाँच हेतु भेजा है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जहाँ तक विवादित भूमि के बेचान की बात है, तो स्व. कान सिंह ने भूमि बेची होती तो परिवार को पता होता। उक्त बयनाम की जानकारी कान सिंह की मृत्यु के बाद हुई है। प्रार्थी के कथन कि सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण का वादगत भूमि पर कब्जा नहीं होना माना है, के जवाब में कथन किया कि सिविल न्यायालय ने अप्रार्थीगण का कोई दावा खारिज नहीं किया है सिर्फ प्रार्थना-पत्र बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया है। सिविल न्यायालय ने अप्रार्थीगण को दोषी नहीं माना है। सिविल न्यायालय द्वारा खारिज अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र की अपील कि हुई है। प्रार्थी द्वारा कहा गया है कि स्वर्गीय कानसिंह ने उसे 1 बीघा भूमि बेची है, 1 बीघा भूमि पर कोई काश्त नहीं होती। आगे कथन किया कि वादी धारा 188 आर.टी.ए. के तहत न्यायालय हाजा में आया है, धारा 188 के लिये कब्जा होना जरूरी है। वादगत भूमि पर मौके पर प्रार्थी काबिज है, ऐसा कोई सबूत दस्तावेज पेश नहीं किया। प्रार्थी का वादगत भूमि पर कब्जा नहीं होने से उसे किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। प्रार्थी द्वारा कूटरचित बयनामा विवादास्पद है और न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिये उक्त बयनामा के आधार पर दावा लाना गलत है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में उल्लेखित रिलीज डीड में बेची गई जमीन के बारे में कोई विस्तृत विवरण नहीं है, उक्त भूमि कोई ओर भी हो सकती है तथा ना ही उसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई फाइनल ऑर्डर जारी नहीं किया गया, न्यायालय द्वारा एफ.एस.एल. जांच में भेजने के बाद प्रार्थी/वादी द्वारा दावा न्यायालय हाजा में लाया गया। तहसीलदार का शुद्धि वाला आदेश भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। आगे कथन किया कि रिलीज डीड में उल्लेखित भूमि 3.65 हैक्टेयर + 3.65 हैक्टेयर अलग-अलग भूमि है। कानसिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसों के नाम नामान्तरण पंचायत द्वारा किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन व प्रस्तुत दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत भूमि के क्रम में जो तथ्य हमारे समक्ष आये हैं, विवादित खेत खसरा नं. 81 हाल खसरा नं. 29 में 0.29 हैक्टेयर खसरा नं. 53 में 0.74 हैक्टेयर व खसरा नं. 291/30 में 1.30 हैक्टेयर तथा 42 में तादादी 2.5 हैक्टेयर वाके ग्राम रायसर में से 1 बीघा प्रार्थी की खातेदारी



सहायक क्लर्क
बीकानेर शहर

भूमि है व प्रार्थी के कब्जे काश्त में है। जिसे अप्रार्थीगण द्वारा उनके पिता से प्राप्त मौरूसी भूमि कहा गया है। अपने जवाब में उक्त पूरी जमीन में से उनके पिता द्वारा कभी भी कोई हिस्सा/टुकड़े को बेचे जाने के कथन का खण्डन किया है। परन्तु अप्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि उक्त विवादित भूमि पूरी उनकी खातेदारी भूमि है। साथ ही ना ही अप्रार्थीगण इस सन्दर्भ में कोई भी राजस्व दस्तावेज अपने जवाब के साथ न्यायालय में प्रस्तुत कर पायें हैं। अप्रार्थीगण का यह कथन कि उनके पिता द्वारा कभी कोई भूमि बेचान नहीं की गई है, इस हेतु भी कोई साक्ष्य/सबूत उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अपितु उनके इस कथन का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध वर्ष 2009 में की गई रिलीज डीड की प्रति में उल्लेखित कथन कि "उक्त खसरो में से कुछ हिस्सा उनके पिता द्वारा बेच दिया गया है" करता है। जिसके जवाब/विरोध में भी अप्रार्थीगण कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। ऐसे में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के हक में साबित होता है। प्रार्थी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में एक खातेदार काश्तकार है और जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादगत भूमि पर आया है। जिसके आधार पर नामांतरण भी प्रार्थी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड हो गया है। इसलिए जहाँ तक सिविल न्यायालय में प्रस्तुत उक्त प्रश्नगत विक्रय पत्र को निरस्त करने के दावे का है, तो वह अभी तक निर्णित नहीं हुआ है और ना ही उसमें न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया उक्त बैयनामें को विधि विरुद्ध माना है। ऐसे में प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नजीर RRT 2014(1) Page 97 जिसमें माननीय न्यायालय ने कथन किया है कि "भूमि प्रतिवादी के नाम से दर्ज थी- वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी से क्रय की- तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र फर्जी है तब तक कि प्रतिवादी इसे साबित ना करें- विक्रय पत्र में यह वर्णित कि कब्जा प्रदान किया गया तथा वादी का कब्जा होने की उपधारणा की जावेगी- निर्णित, आलौच्य आदेश में अवैधता या अधिकारिता की त्रुटि नहीं है।" प्रकरण में चस्पा होती है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के हक में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित होने से उसके खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति कारित होगी तथा एक खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं होने से पारित नहीं किया जा सकता ।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वाद के अन्तिम निपटारे तक प्रार्थी की खरीदशुदा खातेदारी भूमि वाके ग्राम रायसर तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नं. 81 हाल खसरा नं. 29 में 0.29 हैक्टेयर खसरा नं. 53 में 0.74 हैक्टेयर व खसरा नं. 291/30 में 1.30 हैक्टेयर तथा 42 में तादादी 2.5 हैक्टेयर में से 1 बीघा भूमि से प्रार्थी को जबरन बेदखल नहीं करें, ना ही प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करें तथा ना ही कोई ऐसा फैल या तर्क फैल करें, जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कुठारघात होता हो।

8. निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया व इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

(बिन्दु खत्री)

आर.एस.
सहायक क्लर्क
बीकानेर शहर

